[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2014

**सं. 05/2014- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.)**

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेनवेट प्रत्यय (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 7 में,--

(i) खंड (ख) में, "एक यूनिट एकक में प्रयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "एक या अधिक यूनिटों द्वारा प्रयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "किसी एकक में पूर्णतः प्रयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "किसी यूनिट द्वारा पूर्णतया प्रयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) एक से अधिक यूनिटों द्वारा प्रयुक्त सेवाओं को अरोप्य सेवाकर का प्रत्यय ऐसी सभी इकाइयां, जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान वर्तमान में प्रचालन कर रही हैं, सुसंगत अवधि के दौरान ऐसी यूनिटों की व्यापारावर्त के आधार पर आनुपातिक आधार पर वितरित होगा ।"

(iv) स्पष्टीकरण 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण 3.-- इस नियम के प्रयोजन के लिए, "सुसंगत अवधि" निम्नलिखित होगी,--

(क) यदि निर्धारिती का वर्ष के पूर्ववर्ती 'वित्तीय वर्ष' में व्यापारावर्त है, जिसके लिए प्रत्यय, यथास्थिति, मास या तिमाही के लिए वितरित किया जाना है, उक्त वित्त वर्ष ; या

(ख) यदि निर्धारिती का पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी या सभी यूनिटों के लिए व्यापारावर्त नहीं है तो उस मास या तिमाही की पूर्ववर्ती वह अंतिम तिमाही, जिसके लिए प्रत्यय का संवितरण किया जाना है, सभी एककों के व्यापारावर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं ।" ।

(फा.सं. 354/246/2013-टीआरयू)

(अक्षय जोशी)
अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण** : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 10 सितम्बर, 2004 में अधिसूचना सं0 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 10 सितम्बर, 2004 सा.का.नि. 600(अ), तारीख 10 सितंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. 02/2014-कैंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.) तारीख 20 जनवरी, 2014 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 36(अ), तारीख 20 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।